



जनपद गाजियाबाद प्रेस नोट दिनांक 01.08.2021

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा 02 अर्न्तप्रान्तीय शातिर लुटेरे गिरफ्तार, कब्जे से एक तमंचा 315 बोर 02 जिंदा कारतूस 315 बोर, एक चाकू, एक लूटी गयी मो0सा0 एफजेड व लूट के 54370/- रूपये बरामद

कार्यवाही:- जनपद गाजियाबाद में अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद महोदय श्री अमित पाठक के निर्देशन श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री डा0 ईरज रजा के पर्यवेक्षण में श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय श्री अतुल कुमार सोनकर महोदय के कुशल नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक थाना ट्रोनिका सिटी श्री संदीप कुमार सिंह की टीम दिनांक 31/07/2021 समय 23.45 बजे गेट नं0 2 पंचलोक की तरफ से दौराने चैकिंग अभियुक्त 1. निखिल उर्फ शिवा पुत्र इन्द्रपाल सिंह हालपता रामपार्क थाना ट्रोनिका सिटी जनपद गाजियाबाद स्थायी पता ग्राम निबाली थाना कोतवाली बागपत जिला बागपत, 2- मनीष कुमार उर्फ पुस्सी पुत्र राजाराम निवासी ग्राम अगरौला थाना ट्रोनिका सिटी जनपद गाजियाबाद को मय एक अदद तमंचा 315 बोर 02 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर, एक अदद चाकू, एक अदद लूटी गयी मो0सा0 एफजेड व लूट के 54370/- रूपये के गिरफ्तार किया गया।

अपराध कारित करने का तरीका/पूछताछ का विवरण:-

दिनांक 22.07.21 को किराना व्यापारी रवि गुप्ता पुत्र विश्वनाथ गुप्ता नि0 अगरौला के अगरौला स्थित किराना की दुकान से रात्रि करीब 21.00 बजे दो अज्ञात व्यक्तियों द्वारा तमंचा दिखाकर दुकान से 1 लाख 70 हजार रूपये के लूट की घटना अज्ञात अपराधियों के द्वारा की गयी थी जिसमे प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत कर अभियुक्त गण की गिरफ्तारी व बरामदगी हेतु तलाश किये जा रहे थे दिनांक 31.07.2021 की रात्रि समय करीब 23.45 बजे अभियुक्तगण 1- निखिल उर्फ शिवा पुत्र इन्द्रपाल सिंह हालपता रामपार्क थाना ट्रोनिका सिटी जनपद गाजियाबाद स्थायी पता ग्राम निबाली थाना कोतवाली बागपत जिला बागपत, 2- मनीष कुमार उर्फ पुस्सी पुत्र राजाराम निवासी ग्राम अगरौला थाना ट्रोनिका सिटी जनपद गाजियाबाद को गिरफ्तार किया गया जिनके पास से उक्त घटना में लूटे गये 54370/- रूपये घटना में प्रयुक्त तमंचा मय 02 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर मय एक अदद चाकू व घटना में प्रयुक्त एफजेड मोटर साइकिल बरामद हुआ है। एफजेड मो0सा0 के बारे में जाँच के क्रम में ज्ञात हुआ कि मो0सा0 थाना खेकड़ा जनपद बागपत से दिनांक 28.06.2021 को लूटी गयी थी जिसके सम्बन्ध में थाना खेकड़ा जनपद बागपत पर अभियोग पंजीकृत है। जिसके सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही हेतु थाना खेकड़ा जनपद बागपत को सूचना दी गयी है पकड़े गये अभियुक्त गण शातिर किस्म के अर्न्तप्रान्तीय लुटेरे हैं जो पूर्व में भी लूट डकैती व गैंगस्टर के अभियोगों में जेल जा चुके हैं जिनका लम्बा आपराधिक इतिहास है इस गैंग के द्वारा जनपद गाजियाबाद आसपास के जनपदों व दिल्ली एनसीआर में लगातार आपराधिक घटनाएँ की गयी हैं। जिसके बारे में विस्तृत जाँच की जा रही है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1. निखिल उर्फ शिवा पुत्र इन्द्रपाल सिंह हालपता रामपार्क थाना ट्रोनिका सिटी जनपद गाजियाबाद स्थायी पता ग्राम निबाली थाना कोतवाली बागपत जिला बागपत,
2. मनीष कुमार उर्फ पुस्सी पुत्र राजाराम निवासी ग्राम अगरौला थाना ट्रोनिका सिटी जनपद गाजियाबाद

आपराधिक इतिहास- निखिल उर्फ शिवा उपरोक्त

1. मु0अ0स0 धारा 392/411 भादवि थाना ट्रोनिका सिटी जनपद गाजियाबाद 505/18 -
2. मु0अ0सं0 - 552/18 धारा 392/411 भादवि थाना ट्रोनिका सिटी जनपद गाजियाबाद
3. मु0अ0सं0 - 572/18 धारा 307/382/411 भादवि थाना ट्रोनिका सिटी जनपद गाजियाबाद
4. मु0अ0सं0 - 574/18 धारा 25/27 आर्म्स एक्ट थाना ट्रोनिका सिटी जनपद गाजियाबाद
5. मु0अ0सं0 - 1086/18 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना ट्रोनिका सिटी जनपद गाजियाबाद
6. मु0अ0सं0 - 1375/18 धारा 394/397/411 भादवि थाना ट्रोनिका सिटी जनपद गाजियाबाद
7. मु0अ0सं0 - 352/19 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना ट्रोनिका सिटी जनपद गाजियाबाद

8. मु0अ0सं0 – 340/19 धारा 395/397/412 भादवि थाना ट्रौनिका सिटी जनपद गाजियाबाद
9. मु0अ0सं0 – 527/19 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना ट्रौनिका सिटी जनपद गाजियाबाद
10. मु0अ0सं0 – 260/21 धारा 379 भादवि थाना खेकड़ जनपद बागपत
11. मु0अ0सं0 – 529/21 धारा 411/414/120B भादवि थाना ट्रौनिका सिटी जनपद गाजियाबाद
12. मु0अ0सं0 – 530/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना ट्रौनिका सिटी जनपद गाजियाबाद

आपराधिक इतिहास- मनीष कुमार उर्फ पुरूसी उपरोक्त

1. मु0अ0सं0 - 46/21 धारा 392 भादवि थाना जानसठ जनपद मुजफ्फरनगर
2. मु0अ0सं0 - 47/21 धारा 307 भादवि थाना जानसठ जनपद मुजफ्फरनगर
3. मु0अ0सं0 - 123/21 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना जानसठ जनपद मुजफ्फरनगर
4. मु0अ0सं0 529/21 धारा 411/414/120B भादवि थाना ट्रौनिका सिटी जनपद गाजियाबाद
5. मु0अ0सं0 – 531/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना ट्रौनिका सिटी जनपद गाजियाबाद
6. मु0अ0सं0 – 260/21 धारा 379 भादवि थाना खेकड़ जनपद बागपत

बरामदगी का विवरण:-

1. एक अदद तमंचा 315 बोर 02 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर, एक अदद चाकू,
2. एक अदद लूटी गयी मो0सा0 एफजेड व लूट के 54370/- रुपये बरामद



थाना लोनी पुलिस द्वारा अवैध शराब की तस्करी करने वाला 01 अभियुक्त मय 92 पच्चे नाजायज शराब सहित

गिरफ्तार

श्री अमित पाठक पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद महोदय द्वारा शराब की तस्करी करने वालों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण गा0बाद एवं क्षेत्राधिकारी महोदय लोनी के निर्देशन में थाना लोनी पुलिस द्वारा अवैध शराब बेचने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 01 नफर अभियुक्त प्रदीप पुत्र धर्म सिंह निवासी सालेहनगर थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 42 वर्ष को मय 92 पच्चे असली संतरा मसालेदार देसी शराब हरियाणा मार्का नाजायज सहित अम्बेडकर चौकी सादुल्लाबाद से दिनांक 31.07.2021 को समय करीब 22.30 बजे गिरफ्तार किया गया। आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त व आपराधिक इतिहास -

प्रदीप पुत्र धर्म सिंह निवासी सालेहनगर थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 42 वर्ष

1. मु0अ0सं0-1070/2021 धारा 60/63 आबकारी अधि0 थाना लोनी गा0बाद।

बरामदगी का विवरण:-

1. 92 पच्चे असली संतरा मसालेदार देसी शराब हरियाणा मार्का बरामद।

थाना लोनी पुलिस द्वारा हत्या के मुकदमे मे वाछित चल रहा अभियुक्त को मय एक अदद हत्या प्रयुक्त चाकू के साथ

गिरफ्तार

श्री अमित पाठक पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद महोदय द्वारा अपराधियों की धरपकड़ व अपराध की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण गा0बाद एवं क्षेत्राधिकारी लोनी महोदय के निर्देशन में थाना लोनी पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए हत्या के अभियोग मे वाछित अभियुक्त मोईन पुत्र गय्यूर

निवासी 20 फुटा रोड प्रेम नगर लोनी थाना लोनी जनपद गाजियाबाद को पुलिस मय हत्या मे प्रयुक्त चाकू व रक्त रंजित कपडे के साथ दिनांक 01.08.2021 को समय 09.30 बजे चार खम्भा वाली गली प्रेम नगर थाना लोनी से गिरफ्तार किया गया ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त व आपराधिक इतिहास -

मोईन पुत्र गयूर निवासी 20 फुटा रोड प्रेम नगर लोनी थाना लोनी जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 30 वर्ष

आपराधिक इतिहास

मु0अ0स0 1068/2021 धारा 302 भा0द0वि0

मु0अ0स0 1072/2021 धारा 4/25 आर्म एक्ट

मु0अ0स0 453/2019 धारा 392/411/323/324 भादवि

बरामदगी का विवरण:-

हत्या मे प्रयुक्त अभियुक्त के कब्जे से एक अदद चाकू व रक्त रंजित कपडे



थाना कविनगर पुलिस द्वारा वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस उप-महानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद गाजियाबाद द्वारा वांछित अभियुक्तो के विरुद्ध चलाये जा रहे आपरेशन के तहत श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर के कुशल पर्यवेक्षण तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी कविनगर व प्रभारी निरीक्षक थाना कविनगर के कुशल निर्देशन में गठित टीम द्वारा थाना कविनगर के मु0अ0सं0 1300/21 धारा 354,354घ,506 भादवि व 66 आई टी एक्ट के अभियोग में वांछित अभियुक्त रवि पुत्र अर्जुन जाटव निवासी सागरपुर दिल्ली को मुखबिर की सूचना पर यादव कालोनी विष्णु एन्कलेव थाना कविनगर क्षेत्र से दिनांक 01.08.21 को समय 14.15 बजे गिरफ्तार किया गया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त –

1. रवि पुत्र अर्जुन जाटव निवासी सागरपुर दिल्ली उम्र करीब 22 वर्ष ।
- 2.

पंजीकृत अभियोग का विवरण:-

- 1- मु0अ0सं0 1300/21 धारा 354,354घ,506 भादवि व 66 आई टी एक्ट थाना कविनगर गाजियाबाद। अभियुक्त के अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है ।

